an>

Title: Speaker made valedicory reference on the conclusion of the Nineth session of the 16th Lok Sabha.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सोलहवीं लोक सभा का नौवां सत्र जो 18 जुलाई 2016 को आरंभ हुआ था, आज समाप्त हो रहा है।

इस सत्र के दौरान कुल 20 बैठकें हुई जो 121 घंटे 23 मिनट चलीं। सभा एक वर्तमान सदस्य और कुछ अन्य पूर्व सदस्यों के निधन संबंधी उल्लेख के पश्चात् 18 जुलाई 2016 को स्थगित हो गई थी।

इस सत्र में महत्वपूर्ण वित्तीय, विधायी और अन्य कार्य का निपटान किया गया। वर्ष 2016-17 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर मतदान और संबंधित विनियोग विधेयक पारित किए जाने से पहले इन पर चर्चा हुई जो 4 घंटे और 53 मिनट तक चली।

वर्तमान सत्र के दौरान 14 सरकारी विधेयक पुर:स्थापित किए गए। कुल मिलाकर 13 विधेयक पारित किए गए। पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधेयक हैं:- The Indian Medical Council (Amendment) Bill, 2016, the Dentists (Amendment) Bill, 2016, the Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Bill, 2016, the Benami Transactions (Prohibition) Amendment Bill, 2015, the Enforcement of Security Interest and Recovery of Debt Laws and Miscellaneous Provisions (Amendment) Bill, 2016, the Employees Compensation (Amendment) Bill, 2016, the Taxation Laws (Amendment) Bill, 2016, the Factories (Amendment) Bill, 2016.

सभा में संविधान (एक सौ बाईसवां संशोधन) विधेयक, 2014 जिसे वस्तु और सेवा कर (जी.एस.टी.), विधेयक भी कहा जाता है, उसमें राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर भी चर्चा हुई। सभा इस विधेयक पर लगभग 6 घंटे चर्चा करने के पश्चात् राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर सहमत हुई।

रेलवे कन्वेंशन कमेटी के प्रथम प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों संबंधी एक सरकारी संकल्प लगभग 4 घंटे की चर्चा के पश्चात् स्वीकृत हुआ।

सत्र के दौरान, 400 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध थे जिनमें से 99 प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। इस प्रकार, औसतन, लगभग प्रतिदिन 4.95 प्रश्नों यानी 5 प्रश्नों के उत्तर दिए गए। शेष तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर 4600 अतारांकित प्रश्नों के उत्तरों के साथ सभा पटल पर रखे गए। श्री दुष्यंत चौटाला द्वारा 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' के बारे में उठाई गई आधे घंटे की चर्चा पर भी बहस की गई और संबंधित मंत्री ने उसका उत्तर दिया।

प्रश्न काल के पश्चात् और शाम को देर तक बैठ कर सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के लगभग 618 मामले उठाए। माननीय सदस्यों ने नियम 377 के अधीन भी 367 मामले उठाए। स्थायी समितियों ने 32 प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किए।

स्थायी समितियों ने 32 प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किए।

सभा में नियम 193 के अंतर्गत अविलंबनीय लोक महत्व के विषय, कश्मीर घाटी में हाल में हुई हिंसा, मूल्य वृद्धि, एस.डी.जी., संधारणीय विकास लक्ष्य, जिस पर अभी आंशिक चर्चा हुई और देश में दलितों पर अत्याचार पर, चार अल्पकालिक चर्चाएं भी हुई। संबंधित मंत्रियों के उत्तर के साथ तीन महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा पूरी हुई।

सत्र के दौरान ध्यानाकर्षण के जरिए भी दो मामले उठाए गए जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महानदी के ऊपर बैराज परियोजनाओं का निर्माण किए जाने के कारण कथित तौर पर ओडिशा में हीराकुंड बांध में जल-पूवाह के अत्यधिक बाधित होने और देश में विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में इन्सेफलाइटिस के फैलने से संबंधित है। ध्यानाकर्षण के उत्तर में, संबंधित मंत्रियों ने वक्तव्य दिए और सदस्यों द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरणों के भी उत्तर दिए।

मंत्रियों द्वारा अन्य विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर 41 वक्तव्य दिए गए और माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सरकारी कार्य के संबंध में तीन वक्तव्य दिए गए।

सत्र के दौरान संबंधित मंत्रियों द्वारा 907 पत्र सभा पटल पर रखे गए।

जहां तक गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य का संबंध है, विभिन्न विषयों पर गैर-सरकारी सदस्यों के के 84 विधेयक पुर:स्थापित किए गए हैं। श्री बैजयन्त पांडा द्वारा 26 फरवरी, 2016 को the Rights of Transgender Perssons Bill, 2014 जो कि राज्य सभा द्वारा यथापारित है, इस पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर सभा की सहमति से 5 अगस्त को चर्चा स्थगित कर दी गई। तदनुसार, श्री विन्सेंट पाला द्वारा संविधान की छठी अनुसूची के संशोधन के आशय वाला विधेयक पेश किया गया। विधेयक पर चर्चा 5 अगस्त, 2016 को अधूरी रह गई।

जहां तक गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों का संबंध है, कर्मचारी भविष्य निधि पेंशनभोगियों का कल्याण सुनिश्चित करने हेतु उपायों संबंधी संकल्प, जो श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा छठे सत्र के दौरान 11 दिसम्बर, 2015 को पेश किया गया था, उस पर 29 जुलाई, 2016 को चर्चा आरंभ की गई जो अधूरी रही।

सभा ने एक मत से यह प्रस्ताव किया कि कश्मीर के समस्त जनमानस में, विशेषरूप से युवाओं में विश्वास पुनः स्थापित किया जाये। इस सत्र में, जबकि व्यवधानों और बाध्य सदनों के कारण 6 घंटे और 33 मिनट से अधिक का समय नष्ट हुआ। सभा विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 18 घंटे और पांच मिनट देर तक बैठी।

भगवंत मान द्वारा सोशल मीडिया पर संसद परिसर के फुटेज को अपलोड करने से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच करने के लिए एक जांच समिति गठित की गई है।

मैं सभापति तालिका में शामिल अपने सहयोगियों का सभा के सुचारू संचालन में अपना सहयोग देने के लिए धन्यवाद करती हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री, विभिन्न दलों और समूहों के नेताओं, मुख्य सचेतकों तथा माननीय सदस्यों के प्रति भी उनके सहयोग के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती हूं। मैं आप सभी की ओर से प्रेस और मीडिया के अपने मित्रों का भी धन्यवाद करना चाहूंगी। मैं इस अवसर पर महासचिव और लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उनके द्वारा सभा को दी गई समर्पित और तत्काल सेवा के लिए धन्यवाद देती हूं। मैं संबद्ध एजेंसियों को, जो सभा की कार्यवाही के संचालन में प्रदान की गई सहायता के लिए भी धन्यवाद देती हूं।

माननीय सदस्यगण, मैं हमारे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर और इस बार हमारा 70वां स्वतंत्रता वर्ष शुरू हो जाएगा, इस अवसर पर भी आप सभी को तथा समस्त भारतीयों को देश और विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को बधाई देती हूं तथा बधाई के साथ-साथ एक समर्थ, स्वावलंबी एवं सशक्त राष्ट्र बनाने में हम सब सफल हों, यह विश्वास भी व्यक्त करती हूं। माननीय सदस्यगण अब हम कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, क्योंकि 'वन्दे मातरम्' की धुन बजाई जाएगी।

12.22 Â½ hours

NATIONAL SONG

National Song Was Played.

HON. SPEAKER: The House stands adjourned sine die.

12.23 hours

The Lok Sabha then adjourned sine die.

---

* ण्ड्ढ म्श्र्द अ ङ्ढद्धत्ड्ढड्ड ङ्डद्दध्ड्ढ ण्ड्ढ दङ्ढर्ड्ढ द्द ढ ङ्ग ग्ड्ढश्व्डड्ढद्ध त्दड्डत्ड्ढङ्गय्ड्ढझ् ण्ङ्गद्य् ण्ड्ढ द्यड्ढद्य्त्द्द ङ्ढ्रझ् ङ्गहय्द्वङ्गथ्न् ङ्गत्ड्ढड्ड द्द ण्ड्ढ ढथ्द्दद्ध द्द ण्ड्ढ Hद्दद्वम्ड्ढ ड्ढन् ण्ङ्गद्य् ग्ड्ढश्व्डड्ढद्ध.

* ग़्द्दद्य् द्धड्ढहद्दद्धड्डड्ढड्ड.